

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 257/22

तारीख दायर 14/12/2022

हंसा पति नरेश जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी कांस्या तहसील
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0प्रार्थी

बनाम्

आनन्द पिता रमेश जाति पाराशर उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक 14/12/2022

प्रार्थना पत्र देवराजसिंह ने जरिये अभिभाषक श्री ओमप्रकाश शर्मा एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम देवीनिवास प0ह0 कांस्या तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 59 पर अंकित आराजी संख्या 231/4 रकबा 0.6475 हे0 भूमि स्थित है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक कांस्या को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। पत्थरगढी कमिश्नर फीस 500 /- रुपये तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पत्थरगढी फीस अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम देवीनिवास प0ह0 कांस्या तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 59 पर अंकित आराजी संख्या 231/4 रकबा 0.6475 हे0 भूमि की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100 /- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावेँ।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

प्रकरण संख्या - 207 / 2022

तारीख दायर 14/12/22

प्रेषिति :- तहसीलदार बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 207/22 पत्थरगढी बाबत।

हंसा पति नरेश जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी कांस्या तहसील
बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0

.....प्रार्थी

बनाम्

आनन्द पिता रमेश जाति पाराशर उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील
बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0

.....विपक्षी

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मे आदेश होकर लेख है मौजा ग्राम देवीनिवास प0ह0 कांस्या तहसील बिजौलियां की सरहद में खाता संख्या 59 पर अंकित आराजी संख्या 231/4 रकबा 0.6475 हे0 भूमि की बशमलात पडौसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाय जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक कांस्या को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस 500/-रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी अदा करेगा। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसीयान को सूचित करते हुये पत्थरगढी करें। पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला भीलवाडा